झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम–18, 2006 यथासंशोधित अधिनियम 09, 2008) की धारा–2 में संशोधन।
3. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 3 में संशोधन।
4. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 3 यथासंशोधित अधिनियम 9, 2008 की धारा–2 में संशोधन।
5. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 6 में संशोधन।
6. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 10 में संशोधन।
7. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 14 (i) में संशोधन।

झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम–18, 2006 यथासंशोधित अधिनियम 09, 2008) में झारखण्ड विधान मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक के वेतन एवं भत्ते का संशोधन विधेयक

भारत गणराज्य के 62वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:–

   (i) यह झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम–18, 2006 यथासंशोधित अधिनियम 09, 2008) की धारा–2 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है –

   मुख्य सचेतक– "वेतन मद में अंक एवं शब्द में 10,000/–(दस हजार) रुपये के स्थान पर 25,500/–(पच्चीस हजार पॉच सौ) रुपये प्रति माह देय होगा।"

   उप मुख्य सचेतक/सचेतक– "वेतन मद में अंक एवं शब्द में 10,000/–(दस हजार) रुपये के स्थान पर 25,000/–(पच्चीस हजार) रुपये प्रति माह देय होगा।"

3. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 3 द्वारा प्रावधानित मुख्य सचेतक/ उप मुख्य सचेतक/ सचेतक को क्षेत्रीय भत्ता मद में अंक एवं शब्द में 8,000/–(आठ हजार) रुपये के स्थान पर 25,000/– (पच्चीस हजार) रुपये प्रतिमाह देय होगा।"

4. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 3 यथासंशोधित अधिनियम 9, 2008 की धारा–2 के द्वारा प्रावधानित मुख्य सचेतक / उप मुख्य सचेतक / सचेतक को सत्कार भत्ता मद में अंक एवं शब्द में 12,000 / –(बारह हजार) रुपये के स्थान पर 25,000 / –(पच्चीस हजार) रुपये प्रतिमाह देय होगा।"

5. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 6 द्वारा मुख्य सचेतक / उप मुख्य सचेतक / सचेतक को दूरभाष मद के रूप प्रावधानित राशि क्रमशः 65,000 / –, 60,000 / – एवं 55,000 / – के स्थान पर 1,00,000 / –रूपये प्रतिस्थापित किया जायेंगा।

6. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 10 के द्वारा प्रावधानित राशि 1,50,000 / – 1,25,000 / – तथा 1,00,000 / – के स्थान मुख्य सचेतक / उप मुख्य सचेतक / सचेतक को यात्रा मद के रूप में क्रमश 2,00,000 · 1,50,000 एवं 1,25,000 रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

7. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 14 (i) के पश्चात् नया उपबंध 1 (a) निम्नवत् जोड़ा जायेगा–

(i) विशेष रूप से और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी;

वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

यह विधेयक झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 44--50--6-9-2011 ।